

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ जं०।	मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर।	अति० मुख्य अभियन्ता सत. एवं रेगुलेशन, इंगानप, बीकानेर।
--	---	---	--

विषय:- इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में दिनांक ६.४.१६ प्रातः ६.०० बजे से १६.४.१६ प्रातः ६.०० बजे तक पीने हेतु पानी चलाने का कार्यक्रम।

प्रसंग:- मु.अ. जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ का पत्रांक एफ४/रेगु/१४-बी/९३८ दिनांक ०१.४.१६.

महोदय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा इन्दिरा गांधी नहर प्रणाली के लिए दिनांक ६.४.१६ प्रातः ६.०० बजे से दिनांक १६.४.१६ प्रातः ६.०० बजे तक अनिवार्य आवश्यकता एवं पीने के पानी के मु.अ. जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, इंगानप, जैसलमेर से प्राप्त सहमति के आधार पर एतद द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

अनिवार्य आवश्यकता की आपूर्ति के पश्चात् शेष उपलब्ध पानी को दिनांक ६.४.१६ प्रातः ६.०० बजे से दिनांक १६.४.१६ प्रातः ६.०० बजे तक निम्न प्रकार से चलाया जायेगा:- (समय इ.ग.मु.नहर की बुर्जी ६२० पर)

- दिनांक ६.४.१६ प्रातः ६.०० बजे से १०.४.१६ प्रातः ६.०० बजे तक इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी-६२० तक की नहरों के लिए (०४ दिन)
- दिनांक १०.४.१६ प्रातः ६.०० बजे से १३.४.१६ प्रातः ६.०० बजे तक इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी ६२० से १२५४ तक की नहरों के लिए (०३ दिन)
- दिनांक १३.४.१६ प्रातः ६.०० बजे से १६.४.१६ प्रातः ६.०० बजे तक इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी १२५४ से टेल तक नहरों के लिए (०३ दिन)

उक्त रोटेशन के अनुसार नहरों में दिए जाने वाले पानी का उपयोग केवल पीने के लिए है। जलप्रदाय विभाग तथा एक आबादियों में स्थित पीने के पानी के भंडारण हेतु समस्त डिगियों को भरे जाने बाबत समस्त अधीनस्थ अधिकारी/कार्मिक उत्तरदायी होंगे। सम्बन्धित जिला कलक्टर भी इस हेतु आवश्यक पर्यवेक्षण एवं निगरानी कर सकेंगे।

संबन्धित मुख्य अभियन्तागण अनुमोदित कार्यक्रम के अनुरूप अपनी अपनी नहरों का संचालन करेंगे एवं अपने जोन हेतु पीने का पानी चलाये जाने का कार्यक्रम अपने स्तर पर जारी करेंगे। जारी किये जाने वाले कार्यक्रम की जानकारी सम्बन्धित जिला कलक्टर, स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर जन साधारण की जानकारी हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करवाना सुनिश्चित करेंगे।

अनिवार्य आवश्यकता का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रस	नहरें	मात्रा क्यूसेक में
1	रावतसर शाखा के माध्यम से पीने का पानी	55
2	सूरतगढ़ ताप बिजलीघर के लिए	75
3	साहवा जलोत्थान नहर	58.46
4 - I	कवरसेन जलोत्थान नहर	148
II	सूरसागर झील बीकानेर शहर में भण्डारण हेतु	02
5	पीने का पानी शोभासर जलाशय	76
6	बरसिंहसर धर्मल पावर प्रोजेक्ट	25
7	नागौर लिफ्ट के माध्यम से पीने का पानी	30
8	मैसर्स बी.एस. लिगनाईट पावर प्रो. प्राई. लि. गुड्डा	05
9	जोधपुर लिफ्ट केनाल परियोजना	195
10	सोलर पावर प्रोजेक्ट मै. गोदावरी ग्रीन एनर्जी लि०	1.60
11	पोकरण फलसूण्ड पेयजल योजना	30
12	रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना	25
13	जैसलमेर शहर के लिए पेयजल	30
14	जैसलमेर संभाग के ग्रामीण क्षेत्र हेतु पेयजल	70
15	गिराल परियोजना	24
16	राजवेस्ट पावर प्रोजेक्ट	40
17	बाड़मेर लिफ्ट परियोजना	16
योग:-		906.06

वर्तमान में प्रभावी कार्यक्रम अनुरूप बाड़मेर लिफ्ट में पीने के पानी हेतु अस्थायी स्वीकृत अतिरिक्त ४० क्यूसेक पानी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की मांग अनुरूप उक्त सीमा तक यथावत देय होगा।

भवदीय,

02/04/2016

संभागीय आयुक्त एवं पदेन आयुक्त,
क्षेत्रीय विकास, इंगानप,
बीकानेर।

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- (उक्त कार्यक्रम ई-मेल द्वारा प्रस्तुत/प्रेषित हैं एवं विभागीय वेबसाईट www.cad.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है)।

1. शासन सचिव (मुख्य मंत्री) मुख्य मंत्री कार्यालय राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, जल संसाधन, राज0 जयपुर।
3. शासन सचिव, सीएडी एवं जल उप0 विभाग, राज, जयपुर।
4. अध्यक्ष, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, बीकानेर / जोधपुर।
6. जिला कलेक्टर, बीकानेर/श्रीगंगानगर/ जैसलमेर/ हनुमानगढ़/चुरू/ जोधपुर/नागौर/बाड़मेर को आवश्यक पर्यवेक्षण एवं निगरानी बाबत।
7. मुख्य अभियन्ता, परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर।
8. अति0 मुख्य अभियन्ता, परियोजना-II, जन स्वा0 अभि0 विभाग, जोधपुर।
9. अति0 मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग, बीकानेर।
10. अति0 मुख्य अभियन्ता, परियोजना, जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग, चुरू।
11. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि विभाग, नागौर लिफ्ट, परियोजना वृत्त, नागौर।
12. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि विभाग, बाड़मेर लिफ्ट परियोजना वृत्त, बाड़मेर।
13. संयुक्त निदेशक कृषि, बीकानेर/श्रीगंगानगर।
14. उप निदेशक, कृषि एवं भू-सर्वेक्षण, बीकानेर।
15. उप निदेशक कृषि विस्तार, सीएडी, इंगानप, बीकानेर।
16. जन संपर्क अधिकारी, बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/चुरू/जैसलमेर को भेजनकर लेख है कि उपरोक्त कार्यक्रम का प्रमुख समाचार पत्रों में जन साधारण की जानकारी हेतु जनहित में प्रकाशित करवाकर समुचित प्रचार प्रसार करावें।
17. निजी सचिव कृते आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इंगानप, बीकानेर।

July 2 | 4-2016

संभागीय आयुक्त एवं पदेन आयुक्त,
क्षेत्रीय विकास, इंगानप,
बीकानेर।